रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23062026-273737
CG-DL-W-23062026-273737

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, जून 7—जून 13, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 17—ज्येष्ठ 23, 1948
No. 9] NEW DELHI, JUNE 7—JUNE 13, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 17—JYAISHTHA 23, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2026

आ.अ. 73.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा, श्री स्वपनिल एम. नाइक, आई.ए.एस के स्थान पर सुश्री प्रेरणा पुरी, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी: 2006) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. सुश्री प्रेरणा पुरी, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थी।

3. सुश्री प्रेरणा पुरी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चण्डीगढ़ के रूप में कार्य करते हुए चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/CH/2026-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

SECRETARIAT OF THE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2026

O.N. 73.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of the Union Territory of Chandigarh hereby designates Ms. Prerna Puri, IAS (AGMUT:2006) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Chandigarh with effect from the date she takes over charge and until further orders in place of Shri Swapnil M. Naik, IAS.

2. Ms. Prerna Puri shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Administration of Union Territory of Chandigarh, which she may be holding before such assumption of office.

3. Ms. Prerna Puri while functioning as the Chief Electoral Officer, Chandigarh shall not hold any additional charge whatsoever under the Administration of Union Territory of Chandigarh except that she should be designated Secretary to the Administration of the Union Territory of Chandigarh in charge of Election Department in the Union Territory Secretariat.

[F. No. 154/CH/2026-P.Admn]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

आ.अ. 74.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मणिपुर राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री अरूण कुमार सिन्हा, आई. ए. एस. (एम एन :1999) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मणिपुर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अरूण कुमार सिन्हा, मणिपुर सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अरूण कुमार सिन्हा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर के रूप में कार्य करते हुए मणिपुर सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के प्रधान सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/MR/2026-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

O.N. 74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Manipur hereby designates Shri Arun Kumar Sinha, IAS (MN:1999) as the Chief Electoral Officer for the State of Manipur with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri Arun Kumar Sinha shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Manipur, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Arun Kumar Sinha while functioning as the Chief Electoral Officer, Manipur shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Manipur except that he should be designated Principal Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/MR/2026-P.Admn]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

आ. अ. 75.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग सिक्किम राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री प्रभाकर, आई.ए.एस के स्थान पर श्री राज कुमार यादव, आई.ए.एस. (एस के:2009) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए सिक्किम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री राज कुमार यादव, सिक्किम सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री राज कुमार यादव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सिक्किम के रूप में कार्य करते हुए सिक्किम सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/SK/2025-P.Admn -]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

O.N. 75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Sikkim hereby designates Shri Raj Kumar Yadav, IAS (SK:2009) as the Chief Electoral Officer for the State of Sikkim with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri Prabhakar, IAS.

2. Shri Raj Kumar Yadav shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Sikkim, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Raj Kumar Yadav while functioning as the Chief Electoral Officer, Sikkim shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Sikkim except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/SK/2025-P.Admn.]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.23 14:33:00 +05'30'